MOST-URGENT
OUT - TODAY

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/22820 दिनांक :– 26 अप्रेल, 2020

:: आदेश ::

भीलवाडा मे नोवल कोरोना वायरस (**COVID-19**) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में दिनांक 19.03.2020 से निषेधाज्ञा एवं भीलवाड़ा शहर के साथ–साथ जिले के कई क्षेत्रों में (जहां–जहां कोरोना संक्रमित व्यक्ति चिन्हित हुये) में सख्त निषेधाज्ञा (**Curfew**) लागु कर उस क्षेत्र को Zero Mobility Area **(लॉकिंग एरिया–जनसाधारण का सख्ती से आगमन–निर्गमन निषेध क्षेत्र)** घोषित किया गया है। साथ ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में सम्पूर्ण देश एवं राज्य में लॉक डाऊन घोषित किया हुआ हैं।

इस क्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 40–3/2020–डीएम–1(ए) दिनांक 21.04.2020 एवं 24.04.2020 के अनुसरण में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प. 33 (2) गृह–9/2019 दिनांक 15.04.2020 एवं दिनांक 25.04.2020 से लॉकडाउन क्रियान्वयन के तहत निम्नानुसार प्रदत्त शिथिलता/गतिविधियां अनुमत की गई हैं, यथा :–

A. केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण आदि आयुष पशु चिकित्सा दवाईयों आदि।
B. किराना, प्रोविजनल स्टोर (खाद्यान, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें एवं स्वच्छता उत्पाद)।
C. फल, सब्जिया, दूध डेयरी उत्पाद, अण्ड़े, मीट, चिकन एवं फिश।
D. पशु, पशु आहार, मुर्गी दाना के डिपों एवं इनसे जुडे हुये संबंधित विक्रय केन्द्र।
E. कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला के उपकरण।
F. कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों के विक्रय, स्पेयर पार्टस एवं मरम्मत की दुकानें
G. विशेष रूप से राजमार्गो पर ट्रकों की मरम्मत के लिये कार्यशाला/दुकानें
H. उचित दूरी पर टायर पंक्चर/रिपेयर की दुकानें
I. राजमार्गो पर भोजन हेतु उचित दूरी पर **जिला कार्यालय से अनुमति प्राप्त ढ़ाबे** (जैसे 40 कि0मी0) पर आउटडोर खाने की सुविधा के साथ।
J. सभी प्रकार के वाहनों के लिये अधिकृत कम्पनी सेवा/मरम्मत केन्द्र।
K. अनुमत परिवहन वाहनों के लिये स्पेयर पार्ट्स की दुकानें।
L. बिजली के पंखे की दुकानें
M. प्रीपेड मोबाईल कनेक्शन के रिचार्ज के लिये आउटलेट्स
O. छात्रों के लिये शैक्षिक पुस्तकों की दुकानें **(होम डिलेवरी)**

.... 2

अतः भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में भीलवाड़ा जिले के नागरिको की मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिये निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

1. यह शिथिलन आदेश जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय एवं जिले के 19 क्षैत्रों (सूची संलग्न) में लागू सख्त निषेधाज्ञा (Curfew) क्षैत्रों (Containment Zone) के लिये लागू नहीं होगा, **अर्थात जिले के कर्फ्यूग्रस्त क्षैत्रों में उक्त शिथिलता पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।**

2. जिले के कर्फ्यूग्रस्त क्षैत्रों के अतिरिक्त जिले के अन्य शहरी एवं ग्रामीण क्षैत्रों में उक्तानुसार प्रदत्त छूट/शिथिलता के क्रम में निम्नानुसार दुकानों का संचालन किया जा सकेगा :–

2.1 शहरी क्षैत्र (नगर पालिका सीमा के भीतर) :–

ऐसी सभी पंजीकृत दुकानें जिनकी प्रकृति :–

1. **"पडोस की दुकानें"** Neighbourhood Shops (जैसे कि **आवासीय क्षैत्रों में** और पास में यदि **सीमित दुकानें** हैं)।
2. **स्टेण्ड़–अलोन दुकाने** (जैसे कि कोई **अलग से दुकान हो**), लेकिन जो किसी मार्केट कॉम्पलेक्स (बाजार/शॉपिंग कॉम्पलेक्स भवन) का भाग नहीं हैं।
3. **आवासीय परिसरों में दुकानें,** श्रमिकों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ तथा दिनांक 15.04.2020 के आदेश में दिये गये निर्देशानुसार जैसे–फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी आदि अनिवार्य होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि **इसमें बाजार परिसरों (बाजारों)** और **बहु–ब्राण्ड़, एकल ब्राण्ड़ मॉल्स की दुकानें** एवं **वाणिज्यिक सडकों पर एक लाईन में दुकानें शामिल नहीं हैं।**

नोट :–

सारांशतः जिले के शहरी क्षैत्रों में (जहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा (**Curfew**) *लागू नहीं है) में उक्तानुसार* ***Permitted Category*** *की ही उपर्युक्त वर्णित दुकानों* ***(पडोस की दुकानें, स्टेण्ड़–अलोन दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें) को खोला जाना अनुमत हैं।***

2.2 ग्रामीण क्षैत्र (नगर पालिका सीमा से बाहर) :–

सभी पंजीकृत दुकानें जिनमें **मार्केट कॉम्पलेक्स (बाजार/शॉपिंग कॉम्पलेक्स बिल्डिंग)** शामिल हैं, **श्रमिकों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ** तथा दिनांक 15.04.2020 के आदेश के अधीन अर्थात जैसे–फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी आदि अनिवार्य होगी। इसमें बहु–ब्राण्ड़, एकल ब्राण्ड़ मॉल्स की दुकानें शामिल नहीं हैं।

.... 3

नोट :—

संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा *कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में जिले की विशेष परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये उक्तानुसार कर्फ्यू रहित* ***ग्रामीण क्षेत्र (नगर पालिका सीमा से बाहर) में*** *दुकानें खुलवाई जाकर* ***यथासम्भव होम डिलेवरी*** *चिकित्सकीय एडवाईजरी में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना करवाते हुये सोशियल डिस्टेन्सिंग के साथ करवाया जाना सुनिश्चित करेगें।*

विशेष :—

बिन्दु सं0 2.1 एवं 2.2 के सन्दर्भ में यह और स्पष्ट किया जाता हैं कि "दुकान" शब्द *से केवल सीमित ऐसे आउटलेट्स हैं, जो वस्तु और उत्पादों को बेचते हैं लेकिन जिनमें राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत अन्य प्रतिष्ठान जैसे रेस्टोरेन्ट, भोजनालय, नाई की दुकान, सैलून, पार्लर्स आदि जो "सेवाये" प्रदान करते हैं, शामिल नही हैं। ऐसे प्रकरणों में दिनांक 15.04.2020 को जारी किये गये आदेश की शर्ते लागू होगी।*

पास की व्यवस्था :—

दुकानों के मालिकों तथा दुकानों का स्टॉफ एवं होम डिलेवरी में नियोजित स्टॉफ/वाहन को संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी किये जा सकेंगें।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर,
भीलवाडा

प्रतिलिपि — निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं —

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान—जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान—जयपुर
03. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान—जयपुर
04. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान—जयपुर
05. संभागीय आयुक्त, अजमेर
06. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
07. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
08. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
09. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण, भीलवाड़ा
10. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला—भीलवाड़ा
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
12. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा
13. समस्त तहसीलदार जिला—भीलवाड़ा

जिला कलक्टर,
भीलवाडा

Index Curfew Place Urban/Rural Area - Bhilwara

S.No.	Division	District	URBAN					RURAL				
			Name of Urban Area	Curfew Place/ Colony/Area	Name of Thana Under Curfew	Urban Area	Ward No.	Name Rural Sub Division	Curfew Village/town	Name of Thana Under Curfew	Gram Panchayat	Ward No.
1.	Ajmer	Bhilwara	District HQ Bhilwara	District HQ Bhilwara City	District HQ Bhilwara City	Nagar Parishad Bhilwara	All	**Mandal**	Mandal	Mandal	Mandal	26
2.								**Banera**	Balesariya	Raila	Banera	11
3.								**Kotri**	kotri	Kotri	Kotri	1-19
4.								**Kotri**	Chatarpura	Kotri	Udliyas	4-5 6 Half
5.									Satola ka Khera	Kotri	Satola ka Khera	3-4 2 Half
6.								**Bhilwara**	Kodukota	Sadar	Kodukota	3-11
7.									Shrinagar			2
8.									Gokulpura			1
9.									Dhumdas			1-2-3 Half
10.									Pondras			3- Half 4
11.									Rupaheli			5-11
12.								**Raipur**	Nathdiyas	Raipur	Nathdiyas	1-4
13.									Panotiya			7-9
14.									Aspur			6
15.									Motro ka khera			5
16.								**Banera**	Raila	Raila	Raila	19
17.									Kundiyakala		Kundiyakala	11
18.								**Gulabpura**	Kanwliyas	Gulabpura	Kanwliyas	1-8
19.									Sanodiya	Raila		11-15